

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)
पीठासीन अधिकारी : बिहारी लाल मीणा, आर०ए०एस०

अपील संख्या 69/2018

1-श्याम लाल पुत्र मोदी राम जाति सांसी निवासी विश्वनाथपुरा तहसील लाडनूं
जिला नागौर

.....अपीलान्त

बनाम

1- तहसीलदार लाडनूं जिला नागौर राज०

.....रेस्पोंडेंट

उपरिथत अधिवक्ता-

1-श्री महावीर प्रसाद गुर्जर एवं श्री विक्रम कुडी अधिवक्ता अपीलान्त

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरुद्ध निर्णय
तहसीलदार लाडनूं बअनुवान राज०सरकार जरिये पटवारी हल्का,
सुनारी बनाम जगदीशसिंह मु० नं० 82/18 अन्तर्गत धारा 91 एल.


आर. एक्ट दिनांक 11.09.2018

निर्णय

दिनांक : 23.01.2019

अपीलान्त की ओर से निम्न अपील पेश है :-

यह है कि प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सुनारी ने
दिनांक 06.07.2018 को इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि अप्रार्थी श्याम लाल




अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

श्री मोदी राम जाति सांसी निवासी विश्वनाथपुरा तहसील लाडनू जिला नागौर
खसरा नम्बर 304 रकबा 00.03 बीघा किस्म गैर मुमकिन भूमि गौचर पर
गण्ड दिवार बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है तथा अतिक्रमी को
अतिक्रमणित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया।

पटवारी हल्का, सुनारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर
कराकर अप्रार्थी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के
अनुसार नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी को नोटिस तामील होकर प्राप्त
पत्रावली शामिल मिसल है। पटवारी हल्का से निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट प्राप्त की
गयी जो शामिल पत्रावली की गई।

इसने हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का भली-भांति अध्ययन एवं
तलब किया, ग्राम विश्वनाथपुरा के खसरा नम्बर 304 किस्म गैर मु० गौचर
00.03 बीघा भूमि पर श्याम लाल पुत्र श्री मोदी राम जाति सांसी निवासी
विश्वनाथपुरा तहसील लाडनू जिला नागौर राज० द्वारा गौचर की भूमि पर
गण्ड दिवार बनाकर अतिक्रमण किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि श्याम लाल
मोदी राम जाति सांसी निवासी विश्वनाथपुरा द्वारा पूर्व में अतिक्रमण किये
गये गौचर भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लंघन
करने पर न्यायालय तहसीलदार लाडनू गे मु० न० 82/2018 दर्ज कर
निर्णयानुसार निर्णय दिनांक 11.09.2018 (सरकार बनाम श्याम लाल) में
अतिक्रमी माना जाकर बेदखल किये जाने व सम्वत् 2075 की लगान दर 0.45
रुपये का 50 गुणा जुर्माना 04 रुपये के आदेश पारित किये है।

इस प्रकार उक्त अतिक्रमी माना जाकर धारा 91 एल आर एक्ट में प्रदत्त
शक्तियों के अनुसार अप्रार्थी को खसरा सं० 304 किस्म गैर मु० गौचर रकबा 00.
03 बीघा भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया है। इस निर्णय से
व्यथित होकर अपीलार्थी यह अपील निम्न आधार पर प्रस्तुत करता है:-


अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)



—: अपील के आधार :—

है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधिन अपील पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है, अतः निर्णय अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर निर्णय अधिन अपील पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है, अतः निर्णय अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए निर्णय अधिन अपील पारित करने में धोर त्रुटि की है, अतः निर्णय अधिन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई साक्ष्य पत्रावली नहीं मिली है तथा न ही पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किये हैं। अपीलान्त/प्रार्थी को साक्ष्य सबुत का अवसर भी नहीं दिया है, इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

है कि अपीलार्थी को न्यायालय तहसीलदार लाडनू द्वारा पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया ना ही पटवारी हल्का द्वारा पटवारी रिपोर्ट अपीलार्थी के समक्ष बनाई तथा ना ही अपीलार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये हैं। इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

है कि अपीलार्थी द्वारा जिस स्थान पर अतिक्रमण करना बताया गया है उस स्थान पर अपीलान्त के रहवासीये मकानात पूर्वजों के समय से ही बने हुए हैं तथा स्थानीय प्रशासन ग्राम पंचायत सुनारी द्वारा उक्त खसरा नम्बर 31/1 में आवादी विस्तार के लिये जिला कलक्टर नागौर को भी आवादी भूमि आवंटन हेतु भी निवेदन किया हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी का उक्त स्थान पर किसी प्रकार से अतिक्रमण न होकर साधिकार

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीसवाना (नागौर)

पिढीयों से काविज होकर रहवास करते आ रहे हैं। जिससे भी अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अधीन अपील अपारस्त किये जाने योग्य है।

7. यह है कि अपीलार्थी खसरा नम्बर 304 की भूमि में पिढीयों से अपने रहवासी मकान बना कर रहा है तथा अपने रहवासी मकानात में विजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के कनेक्शन भी संबंधित विभागों से ले रखे हैं। जिससे भी अपील अधीन आदेश अपारस्त किये जाने योग्य हैं।
8. यह है कि अपीलान्त के पास उक्त रहवासीये मकानात के अलावा अन्य कोई रहवासीये मकान व जायगा ग्राम विश्वनाथपुरा में उपलब्ध नहीं है। एक मात्र उक्त भूमि में बने मकानात ही रहवास का स्थान है जहाँ से अपीलार्थी को बिना किसी उचित कारण के ही बेदखल कर दिया जाता है अथवा वर्षों की खुन पसीने की कमाई से बनाये गये रहवासीय मकानात को तोड़ फोड़ कर दिया जाता है तो अपीलार्थी उसके परिवार खुले आसमान के नीचे जीवनापन करने के लिये मजबूर हो जावेंगे। जिस पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं कर उक्त आदेश पारित किया है, जिससे उपरोक्त कार्यवाही अपीलान्त के विरुद्ध ड्रॉप किया जाना न्याय हित में है।
9. यह है कि हल्का पटवारी ने भौतिक रूप से मौके पर बिना कोई नाप चौक किये ही नजरना तौर पर अतिक्रमण रिपोर्ट बनाकर अपीलान्त के विरुद्ध धारा 91 के तहत कार्यवाही करने की अनुशंसा की है, जो मौके पर बिना कोई भौतिक रूप से नाप चौक किये ही तहसीलदार महोदय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जिससे उपरोक्त अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अपारस्त किये जाने योग्य है।
10. यह है कि मौके पर अपीलार्थी द्वारा उपर वर्णित खसरे में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपारस्त किये जाने योग्य है।
11. यह है कि अन्य उजरात वर वक्त बहस अर्ज किये जावेंगे।


अतिरिक्त जिला क्लर्क
डीडवाना (नागर)


12. यह है कि अपील श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है व अन्दर नयाद पेश है।


अतः अपील अपीलार्थी मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है किया है कि दिनांक 11.09.18 को पारित आदेश व निर्णय जैर अपील को अपास्त व निरस्त फरमाये जाने की कृपा करावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने यह अपील दिनांक 11.10.18 को प्रस्तुत की गई जो दिनांक 15.10.18 को दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोजेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 16.11.18 को अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडनूं द्वारा प्रेषित रिकॉर्ड इस न्यायालय को प्राप्त हुआ जो शामिल भिसल किया गया।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा ग्राम विश्वनाथपुरा के खसरा नम्बर 304 रकबा 31.06 बीघा में से 0.03 बीघा गैर मु0 गोचर पर मकान व दिवार बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर अपीलार्थी को न्यायालय नायब तहसीलदार लाडनूं द्वारा अतिक्रमी घोषित कर भौतिक रूप से बेदखल किया गया तथा धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जुर्माना रूपये 04 /-- अक्षरे रूपये चार का अर्थदण्ड आरंभित किया किया तथा बेदखली के आदेश दिये गये।

अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार लाडनूं को दिया अपना जवाब में बताया कि सुनवाई के वगैर निर्णय किया गया है तथा मुतनाजा भूमि पर रहवासीये मकानात पर्वजो के समय से बने हुवे है तथा बिजली पानी कनेक्शन भी ले रखे है। तथा


अतिरिक्त जिला क्लर्क
डीडवाना (नाथूर)



आवादी विस्तार के लिये जिला कलक्टर नागौर से भी आवादी भूमि के लिये भूमि के आवंटन हेतु भी निवेदन किया हुआ है।

गोचर भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आराजी है। जिसमें धारा 16 आर. टी.एक्ट के तहत उक्त भूमि पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है तथा न ही गोचर भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा आवादी का पट्टा जारी किया जा सकता है। तथा यह भी साबित नहीं होता कि अपीलान्त को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, क्योंकि अपीलान्त द्वारा दिनांक 11.9.18 को अपना जवाब पेश किया जो पत्रावली पर उपलब्ध है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प0ह0 सुनारी व भू0अ0नि0 की, रिपोर्ट दिनांक 5.07.18 में भी श्याम लाल पुत्र मोदी राम को गोचर भूमि पर भकान व दिवार बनाने पर अतिक्रमों बताया गया है। तथा मुतनाजा भूमि आवादी विस्तार भूमि से बाहर खसरा संख्या 304 किस्म में 0गु0 गोचर में स्थिति बतायी है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.09.18 को किया गया निर्णय विधि सम्मत है।

∴ आ दे श ∴

अतः अपीलान्त की अपील खारीज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 11.09.18 बहाल रखा जाता है।



(बिहारी लाल मीणा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 23.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बिहारी लाल मीणा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)